भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1394**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता

1394. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है/पूर्ण हो गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त व्यापार समझौता देश के व्यापारियों के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा और क्या घरेलू व्यापारियों के लिए निर्यात के अवसर खोलेगा;

(घ) उक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते से देश में किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच राजस्व के संदर्भ में कुल द्विपक्षीय व्यापार मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिनांक 6 मई 2025 को भारत-ब्रिटेन एफटीए नेगोशिएसन्स के सफल समापन की घोषणा की थी। व्यापार डील, जिसे व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता (सीईटीए) नाम दिया गया है, पर दिनांक 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। ब्रिटेन के साथ सीईटीए एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक समझौता है, जो व्यापार उदारीकरण और टैरिफ

रियायतों के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण को प्राप्त करना चाहता है। सीईटीए भारत के सभी निर्यात हितों को कवर करते हुए, सभी क्षेत्रों में वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है। सीईटीए में बेहतर विनियामक परिपाटियों को बढ़ावा देने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है जो व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए घरेलू सुधारों पर भारत के स्वयं के फोकस के अनुरूप हैं। दोनों देशों द्वारा पुष्टि के बाद सीईटीए लागू होता है।

(ग) से (ङ): सीईटीए भारत से ब्रिटेन को होने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्र शामिल हैं । इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मज़बूत चालक है, को भी व्यापक लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और विधिक सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। सभी सेवा क्षेत्रों में ब्रिटेन में कार्य करने के लिए कंपनियों द्वारा तैनात पेशेवरों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, शेफ, योग प्रशिक्षकों और संगीतकार जैसे संविदाओं पर तैनात पेशेवरों सहित भारतीय पेशेवरों को सरलीकृत वीजा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभ होगा, जिससे ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। भारत ने डबल कंट्रीब्यूशन समझौते पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह समझौता व्यापार को और अधिक समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिला और युवा उद्यमियों, किसानों, मछुआरों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित है। सीईटीए से आने वाले वर्षों में व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने, रोज़गार सृजन, निर्यात विस्तार और भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच गहरे, अधिक लचीले आर्थिक संबंधों को सहयोग मिलने की अपेक्षा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसे वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट इस लिंक पर देखा जा सकता है-
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3.

*****

भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1394**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता

1394. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता अपने अंतिम चरण में पहुँच गया है/पूर्ण हो गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त व्यापार समझौता देश के व्यापारियों के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा और क्या घरेलू व्यापारियों के लिए निर्यात के अवसर खोलेगा;

(घ) उक्त द्विपक्षीय व्यापार समझौते से देश में किन क्षेत्रों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) आगामी तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच राजस्व के संदर्भ में कुल द्विपक्षीय व्यापार मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिनांक 6 मई 2025 को भारत-ब्रिटेन एफटीए नेगोशिएसन्स के सफल समापन की घोषणा की थी। व्यापार डील, जिसे व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता (सीईटीए) नाम दिया गया है, पर दिनांक 24 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। ब्रिटेन के साथ सीईटीए एक आधुनिक, व्यापक और ऐतिहासिक समझौता है, जो व्यापार उदारीकरण और टैरिफ

रियायतों के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण को प्राप्त करना चाहता है। सीईटीए भारत के सभी निर्यात हितों को कवर करते हुए, सभी क्षेत्रों में वस्तुओं के लिए व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करता है। सीईटीए में बेहतर विनियामक परिपाटियों को बढ़ावा देने और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है जो व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए घरेलू सुधारों पर भारत के स्वयं के फोकस के अनुरूप हैं। दोनों देशों द्वारा पुष्टि के बाद सीईटीए लागू होता है।

(ग) से (ङ): सीईटीए भारत से ब्रिटेन को होने वाले लगभग 99 प्रतिशत निर्यात को अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है, जो व्यापार मूल्य का लगभग 100% है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, और खिलौने जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों के साथ-साथ इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन और ऑटो कंपोनेंट जैसे उच्च-वृद्धि वाले क्षेत्र शामिल हैं । इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, कारीगरों, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों और एमएसएमई को सशक्त बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक मज़बूत चालक है, को भी व्यापक लाभ होगा। यह समझौता आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय और विधिक सेवाओं, पेशेवर और शैक्षिक सेवाओं, और डिजिटल व्यापार में बेहतर बाज़ार पहुँच प्रदान करता है। सभी सेवा क्षेत्रों में ब्रिटेन में कार्य करने के लिए कंपनियों द्वारा तैनात पेशेवरों, वास्तुकारों, इंजीनियरों, शेफ, योग प्रशिक्षकों और संगीतकार जैसे संविदाओं पर तैनात पेशेवरों सहित भारतीय पेशेवरों को सरलीकृत वीजा प्रक्रियाओं और उदार प्रवेश श्रेणियों से लाभ होगा, जिससे ब्रिटेन में काम करना आसान हो जाएगा। भारत ने डबल कंट्रीब्यूशन समझौते पर भी एक समझौता किया है। इससे भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को ब्रिटेन में तीन साल तक सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट मिलेगी, जिससे भारतीय कंपनियों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। यह समझौता व्यापार को और अधिक समावेशी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। महिला और युवा उद्यमियों, किसानों, मछुआरों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं तक नई पहुँच प्राप्त होगी, जो नवाचार को प्रोत्साहित करने, सतत पद्धतियों को बढ़ावा देने और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने वाले प्रावधानों द्वारा समर्थित है। सीईटीए से आने वाले वर्षों में व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि होने, रोज़गार सृजन, निर्यात विस्तार और भारत तथा यूनाइटेड किंगडम के बीच गहरे, अधिक लचीले आर्थिक संबंधों को सहयोग मिलने की अपेक्षा है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसे वर्ष 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य है। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट इस लिंक पर देखा जा सकता है-
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=154945&ModuleId=3.

*****